

अति-आवश्यक

राजस्थान सरकार

औषधि नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक डीसी/ए-11/अलर्टनोटिस/यू.के.85/2016/410

दिनांक 3/8/2016

समस्त सहायक औषधि नियंत्रक, राजस्थान।
समस्त औषधि नियंत्रण अधिकारी, राजस्थान।

अलर्ट नोटिस

विषय:- औषधि "Pregabalin Capsules IP (Prebel-75 Capsules), B.No. SC-15028, D/M 03/2016, D/E 02/2018, Mfd. by M/s Stafford Laboratories Pvt. Ltd., Khasra No. 143, Village Raipur, Bhagwanpur, Roorkee (UK)" जांच में अवमानक पाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

औषधि नियंत्रण अधिकारी, जयपुर के द्वारा औषधि "Pregabalin Capsules IP (Prebel-75 Capsules), B.No. SC-15028, D/M 03/2016, D/E 02/2018, Mfd. by M/s Stafford Laboratories Pvt. Ltd., Khasra No. 143, Village Raipur, Bhagwanpur, Roorkee (UK)" का नमूना जांच हेतु लिया गया था जो कि Govt. Analyst, Rajasthan, Jaipur की जांच रिपोर्ट No. 1467/2016-2017/ DTL/2016 dated 02.08.2016 के अनुसार निम्न कारण से गम्भीर रूप से अवमानक कोटि का पाया गया है :-

The sample does not conform to the claim as it does not contain Pregabalin (Nil) and found Gabapentin 78.90mg/cap.

अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि आप पूरे राज्य में अपने-अपने क्षेत्र में पूर्ण निगरानी/सतर्कता बरतते हुये उपलब्ध स्टॉक को जब्त करें एवं उक्त औषधि व निर्माता के अन्य औषधियों के नमूने जांच हेतु लेकर औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियम 1945 के प्रावधानों के अनुरूप शीघ्र आवश्यक कार्यवाही कर की गई कार्यवाही से सूचित करें।

(डा० मनोज कुमार त्रिपाठी)
औषधि नियंत्रक,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक डीसी/ए-11/अलर्टनोटिस/यू.के.85/2016/410

दिनांक 3/8/2016

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 औषधि महानियंत्रक(भारत), एफ०डी०ए०भवन, सी०एच०ई०बी० केम्पस, कोटला रोड, नई दिल्ली-02
- 2 उप औषधि नियंत्रक(भारत), सी०डी०एस०सी०ओ० (नार्थ जोन), कमला नेहरू नगर, गाजियाबाद।
- 3 निजी सचिव, मा० प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा विभाग, राज० जयपुर।
- 4 निजी सचिव, मिशन डायरेक्टर, आर०एम०एस०सी०एल०, राज० जयपुर।
- 5 निजी सचिव, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, आर०एच०एस०डी०पी०, राज० जयपुर।
- 6 शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राज० जयपुर।
- 7 निदेशक (जन स्वास्थ्य/प०क०/आईईसी/एडस/एम०एस०यू०/ई०एस०आई०), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज० जयपुर।
- 8 निदेशक, जन सम्पर्क निदेशालय, राज० जयपुर।
- 9 समस्त अधीक्षक, सामुहिक चिकित्सालय समूह, राजस्थान।
- 10 समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी राजस्थान।
- 11 समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
- 12 प्रमोरी, सर्वर रूप, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त नोटिस को विभागीय वेबसाईट www.rajswasthya.nic.in/DrugControl में लगाये।
- 13 रक्षित पत्रावली।

(डा० मनोज कुमार त्रिपाठी)
औषधि नियंत्रक,
राजस्थान, जयपुर

intzple